

11 MAR 2010



बहाल

जमिन्दार

माधवलाल अग्रवाल तनय स्व० श्री रामगोपाल अग्रवाल, उम्र 58 वर्ष,
निवासी फोर्ट रोड रीवा (म०प्र०)

-----अपीलार्थी

बनाम

20

अन्तर्गत अर्ज 22-3-10
दि 22-3-10
बिच-कास 421
22-3-10

- 1- सूर्यमणि पिता हनुमान प्रसाद
- 2- मुद्रिका प्रसाद पिता हनुमान प्रसाद
- 3- श्रीमती मनरिजया पिता हनुमान प्रसाद
- 4- श्रीमती रामरती पत्नी सुरेश प्रसाद पुत्री हनुमान प्रसाद
- 5- श्रीमती श्यामवती पुत्री हनुमान प्रसाद
- 6- श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री हनुमान प्रसाद
- 7- चन्द्रशेषर तनय साधूराम
- 8- श्रीमती लोलरिया वेवा रामस्वयम्बर मिश्रा
- 9- भोला प्रसाद पिता रामस्वयम्बर मिश्रा

सभी निवासी ग्राम कचूर, तहसील हुजूर, सर्किल बनकुइया, जिला
रीवा (म०प्र०)

-----उत्तरवादीगण

अंजनी सोनी
15/3/10

अपील विरुद्ध आदेश व निर्णय श्रीमान् आयुक्त
महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण
क्रमांक-11/पुर्न/09-10 में पारित आदेश
दिनांक 29/12/09

अपील अंतर्गत धारा 35(4) म०प्र० भू०रा०सं० 1959

रा.मं. जालिया
28.5.12

Collector's office
Kewar Division
Muzaffarnagar

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य :-

यह कि श्रीमान् आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के न्यायालय
में आवेदक द्वारा कलेक्टर रीवा, जिला रीवा के आदेश के विरुद्ध
प्रस्तुत निगरानी प्रकरण क्रमांक-138/निगरानी/08-09 विचाराधीन
थी जो दिनांक 22/12/2009 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र
अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तर्क हेतु
नियत था जिसमें आवेदक अधिवक्ता प्रकरण की सुनवाई के दौरान

14-5-75

अंतर वी-अंतर के कंड अनुपात
नहीं। कंड वार समझ-समझ पर अनुपात लागू
गई। के सूचना अंतर अनुपात रहने
के कारण प्रकरण अंतर पैरवी में बाहर
विस्था जाता है। प्रकरण राखेले विधि है

०
विस्था